



879
6/5/15

7.0 नकल आदेश दिनांक 21/5/15 नं-91/17/1/2015

धारा 143 भाँजा - नेवाडा पगना - तिकण्डपुरगकी
नहलील - बैज्यरा रौड जनदड - बलिया श्री हरदेव कालेज
नेवाडा, करवाँ स्त्रीपट्टी बलिया वनाम हल्का लेखपाल
व न्यायालय उपजिलाधिकारी बैज्यरा रौड,
जनदड बलिया तां 21/5/15 *

नोट - फौजिलो बैजाय आदेश की छापाप्रति संलग्न है।

न्यायालय उपजिलाधिकारी बेलथरा रोड बलिया
वाद सं० १ /17.01.2015

धारा 143 यू० पी० जेड. एल. आर. एक्ट.
नेवादा, बरवां रत्ती पट्टी, परगना सिकंदरपुर गर्वी
तहसील - बेलथरा रोड, जिला - बलिया

श्री हरदेव कालेज, नेवादा, बरवां रत्ती पट्टी, बलिया
बनाम
हल्का लेखपाल

निर्णय



प्रस्तुत वाद सं० लाल बचन यादव प्रबंधक श्री हरदेव कालेज, नेवादा, बरवां रत्ती पट्टी, बलिया ने दाखिल कर निवेदन किया था कि आराजी नं० तहसील जैल नं० 12 रकबा 1.060 हे०, भूमि अर्थात् 10600 वर्ग मीटर भूमि इनकी भूमिधारी की आराजी है जिसमें मौके पर भवन निर्माण होकर श्री हरदेव कालेज, नेवादा, बरवां रत्ती पट्टी, बलिया चलता है तथा भवन का पठन - पाठन होता है। उक्त आराजी वर्तमान समय में कृषि उपयोग में नहीं लानी रखी है पूर्ण रूप से महाविद्यालय का निर्माण होने से मौके पर आबादी की शकल में है। मुताबिक मौका व् असलियत के उक्त भूमि को आबादी घोषित किया जाना अत्यांत आवश्यक है अर्थात् अंत में उन्होंने निवेदन किया है कि भूमि को आवश्यक जाँच कराकर आबादी घोषित किये जाने की कृपा किया जाए। नियमानुसार वाद पंजीकृत कर तहसील भूलेख नियम 135(1) के तहत प्रोफार्मा में आख्या तलाब की गयी जो प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है किसी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

मैंने वादी के अधिवक्ता के तर्क को सुना तथा पत्रावली व् उसपर प्रस्तुत साक्ष्य व् सबूतों व् आख्या का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2015 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि खाता सं० 12 रकबा 1.060 हे०, भूमि अर्थात् 10600 वर्ग मीटर भूमि श्री हरदेव कालेज, नेवादा, बरवां रत्ती पट्टी, बलिया प्रबंधक लाल बचन यादव पुत्र स्व० हरदेव यादव, नेवादा, बरवां रत्ती पट्टी, बलिया के नाम राजस्व अभीलेखों में दर्ज है उक्त आराजी में 1 पक्की दो मंजिला ईमारत बनी हुई है। जिसे आबादी श्रेणी 6(5) कायम किया जा सकता है। वादी के अधिवक्ता के कथन को सुनने व् पत्रावली

अवलोकन करने उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इस भूमि में किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं होता है। फलस्वरूप इसे अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्याय संगत है।

आदेश



अतः तहसीलदार बेलथरा रोड की आख्या दिनांक 12.04.2015 को स्वीकार करते हुए श्री राजा नेवादा, बरवां स्ती पट्टी, परगना सिकंदरपुर गर्वी, तहसील बेलथरा रोड के खाता सं० 12 रकबा 1.060 हे०, भूमि अर्थात् 10600 वर्ग मीटर भूमि श्री हरदेव कालेज, नेवादा, बरवां स्ती पट्टी, बलिया प्रबंधक लाल बचन यादव पुत्र स्व० हरदेव यादव, नेवादा, बरवां स्ती पट्टी बलिया के नाम सक्रमणीय भूमिधर दर्ज है जो धारा 143 यू० पी० जेड. एल. आर. एक्ट. के अंतर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा उसे रू० 2/15 के मालगुजारी से मुक्त किया जाता है। परवाना अमल दायमद जारी है। वाद आवश्यक कार्यवाही दखिल दफतर हो।

उपजिलाधिकारी कार्यालय-बेलथरा रोड
 प्रार्थना पत्र का दिनांक 6/5/15
 दायर करने का दिनांक 7/5/15
 लगी करने का दिनांक 7/5/15
 राजन 2/10
 हस्ताक्षर

नकल भर्ती D
 त्रिजान भर्ती D
 265 भगभग - 275

(रामानुज सिंह)
 उपजिलाधिकारी
 बेलथरा रोड

